उत्तर प्रदेश शासन

राजस्व अनुभाग-1

संख्या-4/2020/अ0मु0स0-151/एक-1-2020-रा0-1

लखनऊ: दिनांक 28 फरवरी, 2020

<u>कार्यालय ज्ञाप</u>

लोक उपयोगिता की श्रेणी की भूमि के पुनर्ग्रहण/विनियम के संबंध में उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 की धारा 77(2) में यह व्यवस्था है कि धारा 77(1) में विनिर्दिष्ट कोई भूमि अथवा उसका कोई भाग लोक प्रयोजन के लिए क्रय, अर्जित या पुनर्ग्रहीत किए गए भूखण्ड या भूखण्डों से घिरी है अथवा उसके या उसके बीच में है, वहां राज्य सरकार ऐसी लोक उपयोगिता की भूमि की श्रेणी को परिवर्तित कर सकेगी और यदि ऐसी लोक उपयोगिता की भूमि की श्रेणी परिवर्तित की जाती है, तो उपरोक्त लोक उपयोगिता की भूमि के बराबर या उससे अधिक भूमि उसी प्रयोजन के लिए उसी अथवा किसी निकटवर्ती ग्राम पंचायत अथवा अन्य स्थानीय प्राधिकरण, जैसी भी स्थिति में सुरक्षित कर दी जायेगी या राज्य सरकार इस संहिता की धारा 101 के अन्तर्गत उसके विनिमय की अनुज्ञा विहित रीति से दे सकेगी।

उपर्युक्त व्यवस्था सुस्पष्ट होने के बावजूद प्राय: जिलाधिकारियों द्वारा सरकारी परियोजनाओं के लिए उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 77(1) में परिगणित लोकोपयोगिता की भूमि के श्रेणी परिवर्तन/पुनर्ग्रहण/विनिमय का प्रस्ताव उपर्युक्त व्यवस्था के विपरीत शासन को सन्दर्भित कर दिया जाता है। इस प्रकार के विधि विरूद्ध प्रस्ताव जहां स्वीकार्य नहीं हो पाते वहीं लोक महत्व परियोजनाओं को भूमि हस्तान्तरित करने हेतु शासन स्तर से अनेकश: पत्राचार के उपरान्त विधिसम्मत भूमि के चिन्हीकरण को अन्तिम रूप दिया जाता है। लोक महत्व की परियोजनाओं में अनावश्यक रूप से विलम्ब करने वाली यह स्थिति नितान्त चिन्ताजनक है।

अत: इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 77(2) द्वारा विहित व्यवस्था के अनुसार ही लोकोपयोगिता की भूमि के श्रेणी परिवर्तन/पुनर्ग्रहण/विनिमय का प्रस्ताव प्रेषित किया जाए। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता के लिए सम्बन्धित जिलाधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे।

रेणुका कुमार

अपर मुख्य सचिव

<u>संख्या व दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

2- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।

3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।

आज्ञा से,

संजय गोयल

सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in